न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 76/2023 बउनवानी दिनेश चन्द मीना बनाम लो.सू.अधि.एवं तहसीलदार मलारना डूँगर
Secueity office main gate JNU New Barwar Campus Opposite munirka New Delhi
GCMS No-2023/160

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिश्यिल जज
19.12.2023	पत्रावली आज पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार मलारना डूँगर की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने हेतु दिनांक 27.9.2023 लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार मलारना डूँगर के कार्यालय में अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गयाः— 1. राजस्व ग्राम बडागांव कहर तहसील मलारना डूँगर जिला सवाईमाधोपुर मे ख0न0 769 (पुराना) से अब तक बने नये खसरो का मिलान क्षेत्रफल और नक्शा नया और पुराना और उन सब खसरो को नामान्तरकरण (सरकार परत) उपलब्ध करवाऐ। 2. खसरा संख्या 769(पुराना) से संबंधित पर्चा खतोनी पत्रक बी—फाईल नामा0 जो सेटलमेंट मे खोले उपलब्ध करावे। 3. ख0न01441,42,43,44,45,46,47,48,1505,06,07,08,09,10,11,1466,67,86,87,88,89,90,91 का जन्म किस खसरे से हुआ है उन सभी खसरो का मिलान क्षेत्रफल, नक्शा नया और पुराना उपलब्ध करावे। 4. क्या सेटलमेंट करने वाले अमीन को किसी भूमि की किस्म मे परिवर्तन करने का अधिकार है यदि हॉ तो किस प्रकार की भूमि का किस प्रकार की भूमि मे परिवर्तन करने का अधिकार है। संबंधित कानून की प्रति उपलब्ध करावे। 5. क्या अमीन को ऐसी किसी भूमि जिसकी पेनेल्टी कोई ओर दे रहा हो किसी ओर ऐसे व्यक्ति जो उस भूमि की पेनेल्टी नही दे रहा है के नाम करने का अधिकार है। यदि हॉ तो संबंधित कानून की प्रति उपलब्ध करावें। 6. भूमि का भूरक्षक प्रबंधक कौन होता है तहसीलदार या सेटलमेंट अधिकारी संबंधित जिम्मेदार अधिकारी का नाम बताऐ। 7. अगर अमीन ऐसी भूमि जिसका मालिक कोई ओर हो उसकी जानकारी के बिना उस भूमि को किसी ओर के नाम कर देता है तो उस गलती की जिम्मेदारी किस की होगी जमीन के मालिक की अ... प्रबंध अधिकारी या तहसीलदार की । 8. उस गलती को ठीक करने मे होने ... खर्च को वहन करने के लिए कौन जिम्मेदार होगा,जमीन ... प्रबंधक अधिकारी या तहसीलदार संबंधित कानून की प्रति उपलब्ध कराऐ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar
Ola
Date: 2024.01.10 12:07:59 IST
Reason: Self Attested

Scanned with OKEN Scanner

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार मलारना डूँगर द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार म0डूँगर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी।

नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित। पैरोकार राजस्व द्वारा तहसीलदार मलारना डूँगर के जवाब नोटिस कमांक/रीडर/सू0अधि0/2023/3053 दिनांक 12.12.2023 की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि तहसीलदार मलारना डूँगर द्वारा जरिये पत्रांक/एलआर/23/3125 दिनांक 12.12.2023 से बिन्दु संख्या 1 लगायत 3 की सूचना उपलब्ध करवायी जा चुकी है शेष बिन्दुओं की सूचना प्रश्नात्मक होने एवं चाही गयी सूचना का पूर्ण विवरण अंकित नही होने के कारण अपीलान्ट को उपलब्ध करवाया जाना सम्भव नही है। अतः अपील खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया।

पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि जवाब नोटिस के साथ संलग्न सूचना की प्रतियो से यह स्पष्ट होता है कि अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र दिनांक 27.9.2023 के बिन्दु संख्या 1 की सूचना मे नामा0 की प्रति को छोडकर शेष सूचना उपलब्ध हो चुकी है इसके अतिरिक्त बिन्दु संख्या 2,3 मे चाही गयी सूचना अपीलान्ट को उपलब्ध हो चुकी है, शेष बिन्दु संख्या 4 लगायत 8 मे चाही गयी सूचना का पूर्ण विवरण अंकित नही होने एवं चाही गयी सूचना प्रश्नात्मक होने के कारण अपीलान्ट को उपलब्ध करवाया जाना आवश्यक नही है। उक्त निर्देश के साथ अपील अपीलान्ट का निस्तारण किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आदेश खुले न्यायालय मे सुनवाया गया।

(सुरेश कुमार ओला)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2024.01.10 12:07:59 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner